भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.

55B

न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी-5745/2018/मंदसौर/भू.रा. रिवीजन नंबर /2018

R.M. श्री कैलाश पाटीदार अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत 11-9-2018

1. सज्जनदेवी पिता तुलसीराम ब्राम्हण आयु 65 वर्ष
   धंधा खेती निवासी ग्राम बेहपुर तहसील दलौदा जिला मंदसौर
2. नंदलाल पिता मोतीलाल ब्राम्हण
   निवासी ग्राम बेहपुर तहसील दलौदा जिला मंदसौर मप्र ....**रिवीजनकर्ता**

विरुद्ध

चुन्नीलाल पिता बालु जाति चमार आयु 55 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम बेहपुर तहसील दलौदा जिला मंदसौर ....प्रत्यर्थी

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय मंदसौर के समक्ष प्रचलित अपील कमांक 144/अपील/2017–18 में पारित स्टे आदेश दिनांक 14.08.2018 से व्यथीत होकर रिवीजन अंदर अवधि प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि प्रत्यर्थी चुन्नीलाल ने एक आवेदन अंतर्गत धारा 250 बी म.प्र. भू राजस्व संहिता का अधिनस्थ तहसीलदार महोदय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसे दिनांक 26.07.2002 को भूमि नंबर 719 क्षेत्रफल 2.16 हेक्टर में से 0.53 हेक्टर भूमि का शासन ने पट्टा दिया था, उस भूमि का आज तक उसे कब्जा नही मिला है ,इसलिए रिवीजनकर्ता व अन्य 3 व्यक्ति राजेश पिता नंदलाल, राजेश पिता भंवरलाल व कुशालदास पिता मांगुदास से कब्जा दिलाने की प्रार्थना की।

2. यह कि रिवीजनकर्ता सज्जनदेवी का कहना था कि भूमि नंबर 719 क्षेत्रफल 2.16 हेक्टर में से 1.010 आरी भूमि जिसकी चतुर्सीमा पूर्व में– भागवंतीबाई की भूमि , पश्चिम मे– शासकीय भूमि, उत्तर में– नंदलाल व ईश्वर की भूमि, दक्षिण में– रास्ता व नाला है। इस भूमि पर सज्जनदेवी काबिल काश्त होकर

XXIX(a)-BR(H)-11

558

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5745/2018/मन्दसौर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.4.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	